भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 252

सोमवार, 20 मार्च, 2017/ 29 फाल्गुन, 1938 (शक)

उत्प्रवास संबंधी कार्य समूह

***252. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गठित उत्प्रवास संबंधी कार्य समूह ने देश में प्रवासी कामगारों का संरक्षण करने के लिए एक विधिक ढांचा स्थापित किए जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

उत्प्रवास संबंधी कार्य समूह से संबंधित श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा दिनांक 20.03.2017 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 252 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

1. देश में प्रवासी कामगारों की संरक्षा हेतु अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 के अधिनियमन के साथ एक विधिक ढांचा स्थापित किया गया।

2. महिलाओं और बच्चों से संबंधित श्रम कानूनों के संशोधन हेतु गठित कार्यबल ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की थी कि 'अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979' शीर्षक को इसे महिला-पुरूष निरपेक्ष बनाने के लिए बदल कर 'अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979' कर दिया जाए।

3. तदनुसार, मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल हेतु एक टिप्पणी तैयार की गई। 'अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 राज्य सभा में 18.08.2011 को प्रस्तुत किया गया था जिसे अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जांच एवं रिपोर्ट हेतु श्रम संबंधी स्थायी समिति को 24.08.2011 को भेज दिया गया है। स्थायी समिति ने सिफारिश की कि विधेयक को इस अधिनियम में व्यापक संशोधन लाने के अनुरोध सहित सरकार को वापिस कर दिया जाए ताकि प्रवासी कामगारों की समस्याओं का पूर्णत: निराकरण किया जा सके।

4. बाद में, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 में व्यापक संशोधन लाने हेतु अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में 09.09.2014 को एक त्रिपक्षीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी तथा इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 में कार्यकारी आदेश के माध्यम से संशोधनों के विकल्प की संभावना तलाशने का निर्णय लिया । तथापि, बाद में यह निर्णय लिया गया कि चार संहिताएं निर्मित की जाएंगी जो श्रम से संबंधित विद्यमान सभी विधानों को सम्मिलित करेंगी। प्रवासी कामगारों से संबंधित उपर्युक्त सिफारिशों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी दशाओं (ओएसएच) संबंधी संहिता में समाहित कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

****